ईसीजीसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय , 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स
नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
CIN : U74999MH1957GOI010918

ECGC LIMITED

Registered Office: 10th Floor, Express Towers,
Nariman Point, Mumbai 400 021
CIN : U74999MH1957GOI010918

प्रतिनिधि प्रारूप /PROXY FORM

शुक्रवार 07 दिसंबर, 2018 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक /EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON FRIDAY, DECEMBER 07, 2018

सदस्यों के नाम Name of the Members	
पंजीकृत पता Registered Address	
ईमेल आई डी Email ID	
फ़ोलियो सं Folio No.	

मैं / हम , कम्पनी के ------------------------------------- सं के शेयर धारक के रूप में कम्पनी के सदस्य होने के फलस्वरूप एतदद्वारा निम्न को

I/We, being the member (s) of the Company holding ______________________no. of shares, hereby appoint

<table>
<tr><td>नाम
Name</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>पता
Address</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>ईमेल आई डी
E-mail Id</td><td></td><td></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>हस्ताक्षर
Signature</td><td></td><td>अथवा उनकी अनुपस्थिति में
or failing him / her</td></tr>
</table>

शुक्रवार दिनांक 07 दिसंबर 2018 को दोपहर 15.00 बजे कक्ष सं 141 , उद्योग भवन , नयी दिल्ली – 1100001 में आयोजित की जाने वाली कम्पनी की असाधारण सामान्य बैठक में , मेरे / हमारे प्रतिनिधि के रूप में तथा मेरे / हमारी और से मतदान (चुनाव होने पर) करने के लिए नियुक्त करते हैं.

As my/our Proxy to attend and vote (on a poll) for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company, to be held on Friday, December 07, 2018, at 15:00 Hrs, at Room No. 141, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 and at any adjournment thereof in respect of such resolutions as are indicated below:

क्र सं /Sr. No.	**संकल्प के विवरण /Particulars of Resolution**	**धारित शेयरों की सं /No. of Shares held by me**	**मैं संकल्प को स्वीकृति देता / ती हूँ (पक्ष में) I assent to the Resolution (For)**	**मैं संकल्प को अस्वीकृति देता / ती हूँ (विपक्ष में) I dissent to the Resolution (Against)**
विशेष कारोबार /Special Business				
मद सं 1 /ITEM NO. 1:	“ **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 के निम्न उद्धरण को हटा दिया जाए – **“RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.3 of the Articles of Association of the Company produced below be deleted- उद्धरण :- अनुच्छेद 3- कम्पनी प्राइवेट कम्पनी तथा तदनुसार (क) इसके बाद प्रावधान किये गए अनुसार कम्पनी के शेयरों के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है. Quote:- Article 3.- The Company is a private company and accordingly:- (a)The right to transfer shares of the Company is restricted as hereinafter provided; (ख) वर्त्तमान समय में कम्पनी के सदस्यों की सं (जो कम्पनी में कार्यरत हैं तथा जो कम्पनी में कार्यरत थे , अपने कार्यकाल के दौरान कम्पनी के सदस्य थे तथा कार्यकाल की समाप्ति के उपरान्त			

	भी कम्पनी के सदस्य हैं) , पचास से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि जहाँ दो अथवा अधिक सदस्य संयुक्त रूप से एक अथवा अधिक शेयरों के धारक हैं , इस पैराग्राफ के उद्देश्य से उन्हें एकल सदस्य माना जाएगा. (b)The number of members for the time being of the Company(exclusive of persons who are in the employment of the Company and persons who having been formerly in the employment of the Company were members of the Company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased) shall not exceed fifty provided that where two or more persons hold one or more shares in the Company jointly, they shall, for the purposes of this paragraph, be treated as a single member, (ग) आम जनता के लिए कम्पनी के शेयर अथवा डिबेंचर को स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया जाता है (c) any invitation to the public to subscribe for any shares or debenture stock of the Company is hereby prohibited उद्धरण समाप्त Unquote **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”			
मद सं 2 /ITEM NO. 2:	“ **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 3 के निम्न			

	उद्धरण को हटा दिया जाए – “**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.20 of the Articles of Association of the Company produced below be deleted- उद्धरण - Quote- अनुच्छेद 20 – अपने शेयरों को अंतरित करने के सदस्यों के अधिकार को निम्नानुसार प्रतिबंधित किया जाता है – Article 20.- The right of members to transfer their shares shall be restricted as follows - (क) राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अनुसार सदस्य द्वारा अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा उसी व्यक्ति को शेयरों का अंतरण किया जा सकता है. (a) A share may be transferred by a member or other persons entitled to transfer the same to a person approved by the President; (ख) बशर्ते कि उक्त अनुसार निदेशकों को शेयरों के अंतरण के पंजीकरण को नामंजूर करने का पूर्ण विवेकाधिकार है (b) Subject as aforesaid, the Directors may, in their absolute and uncontrolled discretion, refuse to register any proposed transfer of shares. उद्धरण समाप्त Unquote- **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental			

	or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”			
मद सं 3 /ITEM NO. 3:	“ **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 22 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – “**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.22 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 22(क) – भारत के राष्ट्रपति तथा / अथवा उनके नामिती द्वारा द्वारा अंतरण के मामले में : कम्पनी के शेयर निम्नलिखित प्रारूप अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी सामान्य अथवा किसी अन्य प्रारूप में अंतरित किया जाए :- मैं -------------- का ए बी , ----------------- के सी डी (इसके बाद अंतरिती के रूप में जाना जाएगा) द्वारा मुझे अदा की गयी ------------------ रु की राशि के बदले एतदद्वारा ---------------- से ----------------- सहित सं वाले शेयरों को -------- कम्पनी लिमिटेड के इस वचन के साथ उक्त अन्तरक, उसके निष्पादक,प्रशासक अंतरिती को अंतरित करता हूँ , कि वे कई निबंधनों एवं शर्तों के अधीन उन शेयरों को धारित करेंगे जिनके अधीन मैंने इस कार्यान्वियन के तत्काल पूर्व धारित किया तथा तथा मैं, अंतरिती एतदद्वारा उक्त निबंधनों एवं शर्तों के अधीन कथित शेयर (अथवा शेयरों) को स्वीकार करता हूँ. Article 22(a).- In case of transfer By President of India and/or his nominees: Share in the Company shall be transferred in the following form, or in any usual or common form which the Board shall approve:- I A.B. of........... ; in consideration of the sum of Rupees............. paid to me by C.D. of................(hereinafter called "the transferee") do hereby			

	transfer to the transferee the share (or shares)numbered ……to ……inclusive, in the undertaking called the …….. Company Limited, to hold unto the said transferee his executors, administrators and assigns, subject to the several conditions on which I held the same immediately before the execution hereof; and I, the transferee, do hereby agree to take the said share (or shares), subject to the conditions aforesaid. As witness our hands this... …………………………………………………day of........................... Witness to the signature of, etc." (b) In case of transfer by Members other than (a) above: the instrument of transfer of any share shall be in writing and in the form prescribed under section 56(1) of the Companies Act, 2013, as may be amended from time to time. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution."			
मद सं 4/ITEM NO. 4:	" **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के			

	संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 24 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – “**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.24 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 24 – (क) अधिनियम की धारा 91 के अनुसार निदेशक मंडल को, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय जिस जिले में अथवा नगर में स्थित है वहां परिचालित प्रचलित समाचार पत्रों में , अंतरण के लिए , इस प्रकार की अवधि अथवा अवधियों, जो कि किसी भी समय तीस दिनों से अधिक न हो तथा प्रत्येक वर्ष यह औसत पैंतालीस दिनों से अधिक न हो, के लिए अंतरण बहियों,सदस्य अथवा डिबेंचर धारक के रजिस्टर को बंद करने के लिए, जैसा भी उसे उचित लगे, विज्ञापन द्वारा सात दिनों की नोटिस जारी करने का प्राधिकार है. Article 24.- (a) The Board shall in accordance with Section 91 of the Act, have power on giving seven days’ previous notice by advertisement in some newspaper circulating in the district in which the Registered Office of the Company is situated to close the Transfer Books, the Register of Members or Register of debenture holders at such time or times and for such period or periods not exceeding thirty days at a time and not exceeding in aggregate forty-five days in each year as it may deem expedient. (क) कम्पनी द्वारा इसके लिए “ अंतरण बही “ नामक एक रजिस्टर रखा जाएगा तथा जिसमें किसी भी शेयर के अंतरण सम्बन्धी विवरण की सही प्रविष्टि की जायेगी. (b) The Company shall keep a book, to be called the “Register of Transfer” and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any share. (ग) अवयस्क अथवा विक्षिप्त दिमाग के व्यक्ति को			

	शेयरों का अंतरण नहीं किया जा सकता है. (c) No transfer shall be made to a person who is minor or of unsound mind. (घ) सदस्यों के रजिस्टर में उल्लिखित एक अथवा अधिक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से किसी शेयर की धारिता में किसी सदस्य के दिवालियापन अथवा परिसमापन के मामले में , कम्पनी शेष व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ही इस प्रकार के शेयर धारक अथवा हिताधिकारी के रूप में पहचाना जाएगा, परन्तु इसमें उल्लिखित कोई भी तथ्य दिवालिया अथवा परिसमापक व्यक्ति द्वारा एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित कोई भी शेयर , उसके इस्टेट के बदले जारी नही किया जाएगा. (d) In the case of insolvency or liquidation of one or more of the persons named in the Register of Members as the joint-holders of any share, the remaining holder or holders shall be the only persons recognised by the Company as having any title to, or interest in, such share, but nothing herein contained shall be taken to release the estate of the person under insolvency or liquidation from any liability on shares held by him, jointly with any other person. (च) अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य के दिवालियापन अथवा परिसमापन, के कारण , इन वर्तमान प्रावधानों के अधीन ,कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से , निदेशक मंडल की अनुमति , जो कि निदेशक मंडल के लिए बाध्यकारी नहीं है, से शेयर धारण का पात्र होता है , तथा उसे इस अनुच्छेद के अधीन अथवा निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अनुसार इस सम्बन्ध में सबूत प्रस्तुत करने पर या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अनुसार नामित किसी व्यक्ति को इस प्रकार के शेयर धारक के रूप में पंजीकृत करवाएगा. (e) Subject to the provisions of the Act, any person becoming entitled to shares in consequence of insolvency or liquidation of any Member, by any lawful means other than by a transfer in accordance with these presents, may, with the consent of the Board,			

	which it shall not be under any obligation to give and, upon producing such evidence that he sustains the character in respect of which he proposes to act under this Article, or of his title as the Board thinks sufficient either be registered himself as the holder of the shares or elect to have some person nominated by him and approved by the Board of Directors registered as holder of such shares. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”			
मद सं 5 /ITEM NO. 5:	“ **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 25 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – “**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.25 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 25 – वसीयत प्रमाणपत्र , एल ओ ए आदि के पंजीकरण पर शुल्क लागू करना : अंतरण, वसीयत प्रमाण पत्र , उत्तराधिकार प्रमाणपत्र तथा प्रबंधन के पत्रों, मृत्यु अथवा विवाह प्रमाणपत्र , अटर्नी अधिकार अथवा इस प्रकार के अन्य दस्तावेजों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.			

	Article 25.- Levy of fees on registration of probate, LOA, etc.: No fee shall be charged for registration of transfer, transmission, probate, succession certificate and letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney or similar other document. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution."			
मद सं 6/ITEM NO. 6:	" **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 28 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – "**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.28 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 28(क) – (1) पात्रता ग्रहण करने के उपरान्त कोई व्यक्ति शेयरधारक के रूप में स्वयं का चयन कर सकता है , उसके द्वारा स्वयं का चुनाव करते हुए स्वयं के हस्ताक्षर से एक नोटिस कम्पनी को भेजी जानी होगी . Article 28(a).- (1) If the person so becoming entitled shall elect to be registered as holder of the share himself, he shall deliver or send to the Company a notice in writing signed by him stating that he so elects. (2) यदि कोई व्यक्ति उक्त अनुसार शेयर के			

	अंतरण का चयन करता है तो , उसे शेयर के अंतरण को कार्यान्वित करते हुए अपने इस चयन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा. (2) If the person aforesaid shall elect to transfer the share, he shall testify his election by executing a transfer of the share. (3) शेयरों के अंतरण एवं अंतरण के पंजीकरण से सम्बंधित इन विनियमों के सम्बन्ध में सभी सीमायें , प्रतिबंध एवं प्रावधान उक्त अनुसार नोटिस अथवा अंतरण पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा दिवालियापन नहीं हुआ हो एवं इस प्रकार के नोटिस अथवा अंतरण पर उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये गए हों. (3) All the limitations, restrictions and provisions of these regulations relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares shall be applicable to any such notice or transfers as aforesaid as if the death or insolvency of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that member. (ख) कम्पनी द्वारा , सम्बंधित कानूनी मालिक द्वारा किये गए शेयरों के अंतरण अथवा वसीयतनामे के पंजीकरण अथवा उन्हें प्रभावी करने (सदस्यों के रूप में रजिस्टर में उल्लिखित अनुसार) के परिणाम स्वरुप यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उन्ही शेयरों पर सामान अधिकार अथवा हित अथवा हक़ की मांग की जाए तो कम्पनी द्वारा इस प्रकार के शेयरों के अंतरण को प्रतिबंधित करते हुए नोटिस जारी करने की किसी प्रकार की देयता नहीं होगी भले ही कम्पनी को इस प्रकार के अधिकार, हक़ अथवा हित सम्बन्धी नोटिस की जानकारी हो अथवा उसके द्वारा कम्पनी के किसी भी बही में इस प्रकार के नोटिस की प्रविष्टि की गयी हो न ही कम्पनी के लिए यह बाध्यकारी अथवा आवश्यक है कि वह उसे , सामान हक़ अथवा हित अथवा किसी भी प्रकार की देयता को नामंजूर करने अथवा नज़रंदाज करने के लिए उसे दिए गए किसी भी प्रकार के नोटिस पर कार्यवाही करे , भले ही उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कंपनी के किसी बही में प्रविष्टि की गयी हो , परन्तु यह कम्पनी का अधिकार होगा कि यदि निदेशक मंडल चाहे तो कम्पनी			

	द्वारा इस प्रकार के नोटिस पर कार्यवाही की जा सकती है. (b)The Company shall not incur any liability or responsibility whatever in consequence of its registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right, title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right, title or interest or notice prohibiting registration of such transfer, and may have entered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall not be bound or required to regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under any liability whatsoever for refusing or neglecting so to do though it may have been entered or referred in some book of the Company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and to give effect thereto, if the Directors shall so think fit. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”			

मद सं 7/ITEM NO.7:	" **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 40 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – "**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.40 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 40 (क) – सम्बंधित लागू अधिनियमों / नियमों में निर्धारित अनुसार लिखित अथवा इलेक्ट्रोनिक मोड के ज़रिये कम से कम इक्कीस दिनों की नोटिस देते हुए सामान्य बैठक का आयोजन किया जाए. (ख) कम अवधि की नोटिस देते हुए भी सामान्य बैठक का आयोजन किया जा सकता है यदि इस प्रकार की बैठक के लिए मताधिकार प्राप्त सदस्यों में से कम से कम पच्चानाब्वे प्रतिशत सदस्यों द्वारा लिखित रूप से अथवा इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा अपनी मंजूरी दी हो. Article 40(a).- A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days notice in writing or through electronic mode as may be prescribed in the relevant applicable Act/Rules. (b) A General Meeting may be called after giving a shorter notice if consent is given in writing or by electronic mode by not less than ninety-five per cent of the members entitled to vote at such meeting. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है.			

	FURTHER RESOLVED THAT the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”			
मद सं 8 /ITEM NO.8:	“ **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 57 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – “**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.57 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 57- निदेशक मंडल में अध्यक्ष , प्रबंध निदेशक, अथवा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा पद भार संभाला जा रहा है.), कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) /कार्यपालक निदेशक (परिचालन) वरिष्ठतम निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिक से अधिक तेरह निदेशक शामिल होते हैं. Article 57.- The Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person),an Executive Director/ Executive Director (Policy Matters)/ Executive Director (Operations)/ Senior most Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the			

<table>
<tr><td></td><td>Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution.”</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>मद सं 9/ITEM NO.9:</td><td>“ संकल्प किया गया कि कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए –

“RESOLVED THAT pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.63 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following:
अनुच्छेद सं 63 – अध्यक्ष , कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक / कार्यपालक निदेशक (पॉलिसी मामले) / कार्यपालक निदेशक (परिचालन) तथा अन्य निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा जब भी उन्हें उचित लगे तब नियुक्त किया जाएगा. नियुक्त किये गए अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (जहाँ एक ही व्यक्ति द्वारा पद भार संभाला गया हो) तथा कार्यपालक निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन तथा / अथवा भत्ते प्रदान किये जायेंगे. सरकार के निदेशकों के अलावा राष्ट्रपति द्वारा अन्य निदेशक को अध्यक्ष के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा. बशर्ते कि निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति निम्न के अनुसरण में की जायेगी
<table>
<tr><th></th><th>श्रेणी</th><th>रिक्तियों की सं</th></tr>
<tr><td>i)</td><td>सरकारी निदेशक</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>वाणिज्य मंत्रालय</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>वित्त मंत्रालय</td><td></td></tr>
<tr><td>ii)</td><td>भारतीय रिज़र्व बैंक</td><td>1</td></tr>
<tr><td>iii)</td><td>एक्जिम बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक</td><td>1</td></tr>
<tr><td>iv)</td><td>राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक</td><td>2</td></tr>
<tr><td>v)</td><td>भारतीय साधारण</td><td>1</td></tr>
</table></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	बीमा निगम के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	
vi	फियो के अध्यक्ष	1
vi	किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद् के अध्यक्ष	1
vi	सरकार द्वारा नामित निर्यातों से जुड़े हुए पदेन सदस्य	4

जहाँ कम्पनी में कार्यरत अधिकारी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल में वे सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारणस्वरुप कम्पनी के कर्मचारी न रहे हों अथवा कम्पनी के बाहर उनका स्थानांतरण हो गया हो तो वे जिस तारीख को कम्पनी के कर्मचारी नहीं रहे अथवा जिस तारीख को उनका स्थानान्तरण हो गया हो उस तारीख से उन्हें निदेशक के पद से भी हटा दिया जाएगा.

समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निदेशक अथवा अन्य अधिकारी को सम्बंधित पद से हटाया जा सकता है तथा इस प्रकार से पद से हटाये जाने पर अथवा त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्यथा , के कारण उत्पन्न रिक्ति पर राष्ट्रपति को रिक्ति को भरने का अधिकार है.

Article 63.- The Chairman, Executive Director/Executive Director (Policy Matters) /Executive Director (Operations) and other Directors shall be appointed by the President for such time as he may deem fit. The Chairman, Managing Director or Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), and Executive Director(s) so appointed shall receive such salary and/or allowances as the President may determine from time to time. The Directors other than Government Directors shall be appointed by the President in consultation with the Chairman. Provided that the appointment of Directors on the Company's Board

	shall as far as possible conform to the following pattern: **Category No. of Position** i) Govt. Directors 2 a)Ministry of Commerce b)Ministry of Finance ii) Reserve Bank of India 1 iii)Chairman/Managing Director/Chairman and Managing Director of EXIM Bank 1 iv)Chairman/Managing Director/Chairman and Managing Director of Nationalised banks to be nominated by the Government 2 v)Chairman/Managing Director/Chairman and Managing Director of General Insurance Corporation of India 1 vi) President of FIEO 1 vii) Chairman of any of the EPCs 1 viii) Non-officials connected with the exports to be nominated by the Government 4 Provided further that where a person being an employee of the Company has been appointed as the Director of the Company and during the term of his office as a Director, ceases to be an employee of the Company by reason of resignation, retirement or otherwise, or is transferred to a post outside the Company, he shall cease to be such Director from the date on which he ceases to be an employee of the Company or as the case may be, from the date of his transfer. The President may from time to time remove the Chairman or any Director from office and in the			

	event of such removal or in the event of any vacancy in the said office caused by resignation, death or otherwise, the President shall be entitled to appoint another in the Vacancy. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution."			
मद सं 10/ITEM NO.10:	" **संकल्प किया गया कि** कम्पनी अधिनियम 2013 , की धारा 14 के प्रावधानों एवं सभी लागू प्रावधानों , यदि कोई हो तो , कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 84 का निम्न उद्धरण से स्थानापन्न किया जाए – "**RESOLVED THAT** pursuant to provisions of Section 14 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the existing Article No.84 of the Articles of Association of the Company be substituted with the following: अनुच्छेद 84 – निदेशक मंडल अथवा समितियों की बैठक के लिए कोरम , जब तक समिति के सन्दर्भ मेमन अन्यथा निर्धारित नहीं कर दिया जाता है , तब तक उसके कुल बल के एक तिहाई (एक तिहाई में बचे शेष प्रभाजन को एक माना जाए)अथवा दो निदेशक , इसमें से जो भी उच्च हो , तथा कोरम के उद्देश्य के लिए वीडियों कांफ्रेंसिंग अथवा किसी अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम से भाग लेने को भी उपस्थिति माना जाएगा. Article 84.- The quorum for meeting			

	of the Board or Committees, unless specified otherwise in the terms of reference of the Committee, shall be one third of total strength (any fraction contained in one third being rounded off as one) or two Directors, whichever is higher and participation of the Directors through video conferencing or by other audio visual means shall be counted for the purpose of quorum. **आगे संकल्प किया गया कि** अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को एतदद्वारा उक्त विशेष संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए सभी आवश्यक प्रासंगिक अथवा परिणामी तथा / अथवा आवश्यक उपाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है. **FURTHER RESOLVED THAT** the Chairman-cum-Managing Director be and is hereby authorized to do all such things as may be incidental or corollary and/or necessary or expedient to give effect to the above Special Resolution."			

दिनांक ----------------------- वर्ष ------------------------------ को हस्ताक्षरित
Signed this _____ day of________________ 2018

रेवेन्यु स्टैम्प लगाएं /Affix

शेयर धारकों के हस्ताक्षर /Signature of Shareholder

नोट /Note:

1. यह प्रोक्सी फॉर्म तब ही प्रभावी माना जाएगा जब इसे विधिवत भर कर बैठक के आरम्भ होने के पहले 48 घंटों के भीतर हस्ताक्षर करकार कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए.

   This form of proxy in order to be effective, should be duly completed and deposited at the Registered Office of the Company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

2. प्रोक्सी को कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है.

A Proxy need not be a Member of the Company.